

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005,

फोन-(022) 66552779, फैक्स-(022) 22182352,

ईमेलः idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइटः www.idbi.com]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 12वीं वार्षिक महासभा शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2016 को अपराहन 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

- 1. यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टै प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना:
- लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्निलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

''संकल्प किया जाता है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागृ किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को (i) भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) की पुनर्नियुक्ति और (ii) रिजर्वे बैंक से इस संबंध में प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदन के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है. उपर्युक्त नियुक्तियां ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

विशेष कारोबार

 श्री ज्ञान प्रकाश जोशी को बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना तथा इसके लिए यदि उपयुक्त समझा जाए तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :-

"संकल्प किया जाता है कि श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन 00603925), जिन्हें संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के निबंधनों के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में 28 अगस्त 2015 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनका कार्यकाल 12वीं वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त हो रहा है तथा जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत बैंक के निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सुचित करते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को बैंक के बोर्ड



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352,

e-mail:idbiequity@idbi.co.in, website:www.idbi.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 12th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Friday, July 22, 2016 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2016 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;
- 2. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) re-appoint Joint Statutory Auditor(s) of the Bank for the Financial Year 2016-17 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and (ii) appoint/ re-appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2016-17 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

 To appoint Shri Gyan Prakash Joshi as Independent Director of the Bank and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT Shri Gyan Prakash Joshi (DIN 00603925) who was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. August 28, 2015 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who ceases to be such Director on the date of 12th Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the

में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) (ई) के निबंधनों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे तथा आरंभ में 28 अगस्त 2015 से लगातार 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे."

 निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना : -

"संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए)(ii) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 2015 की अधिसूचना एफ सं.4/2/2015-बीओ.1 के जिरए श्री किशोर पिराजी खरात (डीआईएन 07266945) को 14 अगस्त 2015 (पदभार ग्रहण करने की तारीख) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख तक अर्थात् 30.09.2018 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति को, जिसे बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार अनुमोदित किया है, नोट किया जाए तथा एतद्द्वारा नोट किया जाता है."

 निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(सी) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा 02 मई 2016 की अधिसूचना एफ सं.6/3/2012-बीओ.1 के जरिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव के स्थान पर 02 मई 2016 से अगले आदेश तक श्री पंकज जैन (डीआईएन 00675922), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के नामांकन को सरकार के नामिती निदेशक के रूप में, जिसे बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अधीन नोट किया है, नोट किया जाए तथा एतद्द्वारा नोट किया जाता है."

6. श्री एस. रवि को बैंक का स्वतंत्र निदेशक पुनर्नियुक्त करना तथा इसके लिए यदि उपयुक्त समझा जाए तो विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :-

''संकल्प किया जाता है कि श्री एस. रिव (डीआईएन 00009790), जिन्हें 02 जुलाई 2012 से लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिन्होंने अपना आरंभिक कार्यकाल 01 जुलाई 2016 को पूरा किया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव दिया है, को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116ए के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के निबंधनों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे तथा 02 जुलाई 2016 से अपने अंतिम कार्यकाल के लिए लगातार 4 वर्ष अपने पद पर बने रहेंगे.''

 श्री निनाद कर्पे को बैंक का स्वतंत्र निदेशक पुनर्नियुक्त करना तथा इसके लिए यदि उपयुक्त समझा जाए तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :- Bank, has been received, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(e) read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. August 28, 2015."

4. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Kishor Piraji Kharat (DIN 07266945), as MD & CEO w.e.f. August 14, 2015 (the date of taking over the charge of the post) for a period of three years or till the date of superannuation i.e. 30.09.2018 or until further orders, whichever is earlier, by Govt. of India vide Notification F.No.4/2/2015-BO.I dated August 14, 2015, in terms of Article 116(1)(a)(ii) of the Articles of Association of the Bank, as approved by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted."

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT the nomination of Shri Pankaj Jain (DIN 00675922), Joint Secretary, Department of Financial Services, Govt. of India as Government Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Ms. Snehlata Shrivastava w.e.f. May 02, 2016 and until further orders, by Govt. of India vide Notification F.No.6/3/2012-BO.I dated May 2, 2016, in terms of Article 116(1)(c) of the Articles of Association of the Bank, as noted by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted."

6. To re-appoint Shri S. Ravi as Independent Director of the Bank and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:-

"RESOLVED THAT Shri S. Ravi (DIN 00009790) who was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. for an initial term of 4 consecutive years w.e.f July 2, 2012 and who completed his initial term on July 01, 2016 and, in terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013, being eligible who has offered himself for re-appointment, be and is hereby re-appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(e) read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank for the last term of 4 consecutive years w.e.f. July 02, 2016."

7. To re-appoint Shri Ninad Karpe as Independent Director of the Bank and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:- ''संकल्प किया जाता है कि श्री निनाद कर्षे (डीआईएन 00030971), जिन्हें 02 जुलाई 2012 से लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिन्होंने अपना आरंभिक कार्यकाल 01 जुलाई 2016 को पूरा किया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव दिया है, को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116ए के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त के लिए दायी नहीं होंगे तथा 02 जुलाई 2016 से अपने अंतिम कार्यकाल के लिए लगातार 4 वर्ष अपने पद पर बने रहेंगे.''

 निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागु अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंक के संस्था अंतर्नियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा/या किसी अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देश के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधक/ विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों. शर्तीं तथा संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो. बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' के रूप में निर्दिष्ट जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेत् बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके बाद गठित की जानेवाली कोई भी समिति शामिल होगी) के लिए भारत में या विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से कुल अधिकतम ₹ 8000/- करोड राशि (प्रीमियम राशि सहित) के प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या जो आईडीबीआई बैंक के मौजदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी में जोडी जाएगी, जो कि बाजार मुल्य पर छुट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक श्रंखलाओं में एक या अधिक सदस्यों. बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (''एनआरआई''), कंपनियों निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (''क्युआईबी'') जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (''एफआईआई''), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थाओं. प्राधिकरणों अथवा मौजुदा विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों को बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से प्रस्तावित करने. जारी करने तथा आबंटित करने (पक्के आबंटन तथा/या निर्गम के "RESOLVED THAT Shri Ninad Karpe (DIN 00030971) who was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. for an initial term of 4 consecutive years w.e.f July 2, 2012 and who completed his initial term on July 01, 2016 and, in terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013, being eligible who has offered himself for re-appointment, be and is hereby re-appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(e) read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank for the last term of 4 consecutive years w.e.f. July 02, 2016".

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Articles of Association of the Bank, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called 'the Board' which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or may hereafter constitute to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating to not more than ₹ 8000 crore (inclusive of premium amount) to be added to the existing paid-up equity share capital of IDBI Bank, whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial उस भाग के प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून के द्वारा अनुमत किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान सहित) के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है ''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्निलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजिनक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और/या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सिहत या रिहत, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रावधानों तथा रिजर्व बैंक, सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण, जो भी लागू हो, द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देशों के अधीन और ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसे निबंधन व शर्तों पर किया जाएगा जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार होगा कि वह इस तरह से मूल्य या मूल्यों को निर्धारित कर सके और जहां जरूरी हो, वहां अग्रणी प्रबंधकों तथा/ या हामीदारों और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसे निबधनों एवं शर्तों पर जो बोर्ड के पूर्ण विवेकानुसार हों, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, अन्य विनियमों और किसी या अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, चाहे वे निवेशक वर्तमान में बैंक के सदस्य हों या न हों, ऐसा मूल्य तय कर सकेगा जो कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मुल्य से कम न हों.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी सुचीबद्धता विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारियों (इसमें इसके पश्चात् सामृहिक रूप से ''उपयुक्त प्राधिकारियों'' के रूप में उल्लिखित) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमित, अनुमित और/या मंजुरी (इसमें इसके पश्चात् ''अपेक्षित अनुमोदन'' के रूप में उल्लिखित) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जैसािक आईसीडीआर विनियम, के अध्याय VIII में परिभाषित है) को एक या अधिक शृंखलाओं में, समय-समय पर पात्र संस्थागत नियोजन (क्युआईपी) के अनुसरण में, जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, नियोजन दस्तावेज और/ या अन्य किसी दस्तावेजों/ प्रलेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के माध्यम से और ऐसे तरीके से और ऐसे मृल्य, शर्तों और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर)

Institutions or other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHERTHATsuch issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, preferential issue, qualified institutional placement and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times, in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices, in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI Listing Regulations, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time, in one or more tranches, equity shares,to Qualified Institutional Buyers (QIBs)[as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations] pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, through a placement document and / or such other documents/writings/ circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI(ICDR) Regulations,

विनियम, 2009 या तत्समय लागू कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए हों, के जिरए इस प्रकार इक्विटी शेयर जारी, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार जारी इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सिंहत मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के प्रावधानों के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के संगत प्रावधानों के अनुसार नियत मूल्य से कम न हो.''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसरण में पात्र संस्थागत नियोजन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के अंतर्गत केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निर्गम के मामले में, प्रतिभूतियों का आधार मूल्य तय करने की संगत तारीख सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार होगी तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत की जाएगी."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर या ऐसी छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, इक्विटी शेयर जारी कर सकता है [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के प्रावधानों के अधीन]".

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन और सूचीबद्धता को अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित एवं मंजूरी देते/ प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार भारत सरकार/ रिजर्व बैंक/ सेबी/ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति व अधिकार बोर्ड को होगा."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों, यदि कोई हों, का निर्गम तथा आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन यथा लागू किंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना सार्वजनिक निर्गम की शर्तों तथा निवेशकों की ऐसी श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक शृंखला में आबंटित किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, का निर्धारण करने तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, 2009 or other provisions of law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived at in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013.

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI(ICDR) Regulations, 2009, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations and that such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall be decided by the Board of Directors of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, in terms of the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 [subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013]."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to and shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board, in its absolute

मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने के लिए, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकिधिकार के तहत आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझें तथा सार्वजिनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, किठनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, भिन्नता, परिवर्तन, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार और लागू करने, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकिधिकार के अधीन बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और कि इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शिक्त का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अग्रणी प्रबंधक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों) तथा ऐसी सभी एजेंसियों के साथ, जो इस प्रकार के इक्विटी के निर्गम में शामिल या उससे संबंधित हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं के लिए करार करने और उसे निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी संबंधित व्यवस्थाएं, करार ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम के स्वरूप और शर्तों, साथ ही निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सिहत, यिद कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम या छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन), रिकॉर्ड तारीख या लेखा बंदी की तारीख नियत करना तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत में और / अथवा विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो विधि द्वारा अनुमत हो.''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को शेयरधारकों या प्राधिकरणों से कोई अतिरिक्त सहमित अथवा अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व अभीष्ट समझें और शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और आगे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और सभी दस्तावेज तथा लिखतों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, अभीष्ट और अत्यावश्यक समझें, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा

discretion, deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in their absolute discretion, deem necessary, proper or desirable and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/ or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board, in its absolute discretion, deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise with regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may, in its absolute discretion, deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or

प्राधिकृत किया जाता है अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को अपने सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) या किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है''

 निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सेबी के दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम के अधीन जारी संबद्ध नियमों और अन्य लाग् कानूनों, दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसरण में तथा भारत सरकार. भारतीय रिजर्व बैंक. सेबी. स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण, जो इस संबंध में अपेक्षित हो, से आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसी शर्तों और निबंधनों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, के निबंधनों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक श्रृंखलाओं में निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ बासेल III अनुपालक टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को बैंक के सदस्यों की सहमित दी जाए तथा एतदद्वारा सहमित दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसा कि इस बारे में जरूरी या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 13 और 14 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू अन्य धाराओं के प्रावधानों और कानूनों, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी को ₹ 3000 करोड़ (प्रत्येक ₹ 10 के 300 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) से बढ़ाकर ₹ 4500 (प्रत्येक ₹ 10 के 450 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) करने के लिए शेयरधारकों की अनुमित दी जाए तथा एतद्द्वारा दी जाती है तथा आईडीबीआई बैंक लि. के संस्था बिहर्नियम के खंड V और संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 3 में परिणामी संशोधन को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

approval of the shareholders or authorities to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Director or Executive Director(s) or any other Senior Executive of the Bank, to give effect to the aforesaid Resolutions."

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 42 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, SEBI guidelines, relevant Rules issued under the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank and other applicable laws, guidelines, if any and subject to approvals, if any, required from the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank for mobilisation in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue during the FY 2016-17 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution.

10. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 13 & 14 of the Companies Act, 2013 read with Article 6 of the Articles of Association and provisions of other applicable Sections of the Companies Act, 2013 or other laws, if any, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the increase in the Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 3000 crore (divided into 300 crore equity shares of ₹ 10/- each) to ₹ 4500 crore (divided into 450 crore equity shares of ₹ 10/- each) and to the consequential amendments to Clause V of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of IDBI Bank Ltd. to read as follows:

संस्था बहिर्नियम का संशोधित खंड V

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक ₹ 10 के 450,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित ₹ 4500,00,00,000/- (चार हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) होगी.

संस्था अंतर्नियम का संशोधित खंड 3

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक ₹10 के 450,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित ₹ 4500,00,00,000/- (चार हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) होगी.

यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों और अधिनियम के लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई है, तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा संशोधित अंतर्नियम 116(1)(ए)(i) एवं (ii) के साथ अन्य अंतर्नियमों के सुयोजन तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के प्रयोजन से आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम में एतद्द्वारा निम्नानुसार परिवर्तन किया जाए तथा किया जाता है:

- (i) संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 117, 118, 119, 120, 154(1) से (3) और 155 में आनेवाले ''अध्यक्ष'' शब्द को ''प्रबंध निदेशक एवं सीईओ'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए.
- (ii) संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 143 में आरंभ में दो बार आनेवाले और अंतर्नियम 145 और 154(4) में आनेवाले "अध्यक्ष" शब्द के बाद "अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ" शामिल किए जाए
- (iii) संस्था अंतर्नियम में अंतर्नियम 116ए(iii) के बाद निम्नलिखित नया अंतर्नियम 116ए(iv) जोड़ा जाए :

नया अंतर्नियम 116 ए (iv)

इन संस्था अंतर्नियमों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 की उपधारा 6 के प्रयोजनार्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत ''निदेशकों की कुल संख्या'' में स्वतंत्र निदेशकों के शामिल नहीं होने के अतिरिक्त, संस्था के अंतर्नियम 116(1)(ए) से 116(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित निदेशक भी ''निदेशकों की कुल संख्या'' में शामिल नहीं होंगे.

बोर्ड के आदेश से

(किशोर खरात)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (डीआईएन 07266945)

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005

र्दिनांक : 02 जून 2016

Amended Clause V of the Memorandum of Association

The authorised share capital of the company shall be ₹ 4500,00,00,000/- (Rupees Four Thousand Five Hundred Crore Only) divided into 450,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each.

Amended Clause 3 of the Articles of Association

The authorised share capital of the Company shall be ₹ 4500,00,00,000 (Rupees Four Thousand Five Hundred Crore Only) divided into 450,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each.

"RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions if any of the Act and Rules made thereunder and in order to align the other Articles with the amended Article 116(1)(a)(i) & (ii) and in order to comply with the provisons of the Companies Act, 2013, the Articles of Association of IDBI Bank be and are hereby altered as follows:

- (i) The word "Chairman" occurring under Articles 117, 118, 119, 120, 154(1) to (3) and 155 of the Articles of Association, be substituted by the words "Managing Director & CEO".
- (ii) The words "or in his absence Managing Director and CEO" be inserted after the word "Chairman" occurring twice initially under Article 143 and occurring under Articles 145 and 154(4) of the Articles of Association."
- (iii) After the Article 116 A(iii), the following new Article 116 A (iv) be added in the Articles of Association

New Article 116 A (iv)

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles of Association, for the purpose of Sub-section 6 of Section 152 of the Companies Act, 2013, "total number of Directors" shall not include the Directors appointed/nominated by the Central Government under Articles 116 (1) (a) to 116(1)(d) of the Articles of Association apart from the Independent Directors not to be included in the "total number of Directors" as provided under explanation to Section 152 (6) of the Companies Act, 2013.

By Order of the Board

(Kishor Kharat) MD & CEO (DIN 07266945)

Registered Office: IDBI Bank Limited IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005 Dated: June 02, 2016

टिप्पणियां :

- मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सिंहत) इसके साथ संलग्न हैं.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, 2. महासभा में भाग लेने और उसमें वोट देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियक्त व्यक्ति को बैठक में वोट देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनिधक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सुचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :
 - (क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मिजस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपित्रत अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.
 - (ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.
 - (ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति बैठक में भाग लेते समय अपनी पहचान का प्रमाण देगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को बैठक में भाग लेते समय अपने साथ पहचान का प्रमाण अर्थात् पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट लाना होगा.
 - (घ) यदि व्यक्ति को पचास से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है तो ऐसा प्रॉक्सी किन्हीं पचास सदस्यों को

NOTES:

- Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith
- In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - (a) It is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.
 - (b) It is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
 - (c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving Licence or Passport, with him at the time of attending the Meeting.
 - (d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty

चुनेगा और निरीक्षण के लिए निर्दिष्ट अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात् गुरुवार, 21 जुलाई 2016 को अपराहन 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पूर्व बैंक को उसकी पुष्टि करेगा. यदि ऐसा प्रॉक्सी सूचना नहीं दे पाता है तो बैंक प्राप्त पहले पचास प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

- सदस्यों/ प्रॉक्सियों/ प्राधिकृत प्रितिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रितयां तथा विधिवत् भरे हुए पहचान फॉर्म साथ लाएं.
- 4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने पर पुरा होगा.
- 5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रिजस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अपने पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553336, 66554058 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.
- 6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.
- 7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.
- यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार;
 - वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.
 - ii. बैंक वार्षिक महासभा स्थल पर टैबलेट आधारित ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और वार्षिक महासभा में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं दे पाए हैं, एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
 - iii. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे.
 - iv. लॉगइन आईडी के ब्योरे इस सूचना के साथ भेजे गए पहचान फॉर्म में दिए गए हैं.

Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3:30 p.m. (IST) on Thursday, July 21, 2016. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

- Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.
- The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting.
- 5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No. 1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail:einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 [Tel. No. (022) 66552779, 66553062, 66553336, 66554058 Fax No. (022) 22182352, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.
- 6. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.
- 7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.
- In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;
 - The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
 - ii) The Bank is providing facility for tablet based e-voting at the venue of AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.
 - iii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
 - iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.

9. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ शुक्रवार, 15 जुलाई 2016 से शुक्रवार, 22 जुलाई 2016 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई शेयरधारकों जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक 14 जुलाई 2016 (अंतिम दिन) को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं, जो रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धित निम्नानुसार होगी:

[अ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

- i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी अथवा फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.
- ii. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर खोलें.
- iii. Shareholder 'Login' पर क्लिक करें.
- iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. ''Login'' पर क्लिक करें.
- v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.
- vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. 'e-Voting'- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.
- vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.
- viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि सोमवार, 18 जुलाई 2016 (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाहन 12:00 बजे) को शुरू होगी और गुरुवार, 21 जुलाई 2016 को (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे) समाप्त होगी.
- ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना वोट डालें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें
- x. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.
- प्रांत आपने कारोबार की मद(दों) पर वोट दे दिया है तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी.
- xii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, July 15, 2016 to Friday July 22, 2016 (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on July 14, 2016 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting at the AGM venue.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and who do not have their existing user id and password.

- i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.
- ii. Launch internet browser by typing the URL: https:// www.evoting.nsdl.com
- iii. Click on Shareholder "Login"
- iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
- v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" -Active Voting Cycles.
- vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.
- viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from Monday, July 18, 2016 (12:00 a.m. IST)and ends on Thursday, July 21, 2016 (5:00 p.m. IST).
- ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.
- x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- xi. Once you have voted on the item(s) of business, you will not be allowed to modify your vote.
- xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with

नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जिरये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

[आ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड हैं.

- i. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर खोलें.
- ii. Shareholder Login पर क्लिक करें अपना यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/Password'' का प्रयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)
- iii. 'Login' पर क्लिक करें.
- iv. 'e-Voting' का होम पेज प्रदर्शित होगा. e-Voting -Active Voting Cycles पर क्लिक करें.
- v. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना वोट डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार वोट डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता. ईवीईएन के लिए, आप संकल्प पर वोट करने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात् 21 जुलाई 2016 को शाम 5:00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार), जो भी पहले हो, एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं.) मतदान अवधि सोमवार, 18 जुलाई 2016 को (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाह्न 12:00 बजे) शुरू तथा गरुवार, 21 जुलाई 2016 को (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे) समाप्त होगी.
- vi. 'Cast Vote' के पृष्ठ खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं.
- vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना वोट दें, ''Submit'' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.
- viii. यदि आपने संकल्प पर वोट दे दिया है तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- ix. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जिरये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

[इ] ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 10 जून 2016 के बाद और 14 जुलाई 2016 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य हो गए हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 जून 2016 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 14 जुलाई 2016 attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

- [B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of NSDL
- Launch internet browser by typing URL: https:// www.evoting.nsdl.com
- ii. Click on Shareholder- Login

Enter your User ID and existing password (If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com)

- iii. Click Login
- iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles
- v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item (s) of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified. For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to 5:00 p.m. (IST) of July 21, 2016, whichever is earlier. Voting period commences on and from Monday, July 18, 2016 (12:00 a.m. IST) and ends on Thursday, July 21, 2016 (5:00 p.m. IST).
- vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.
- vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in
- [C] Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cutoff date for reckoning the despatch of AGM Notice, i.e.,
 June 10, 2016 and upto July 14, 2016 (being the cut-off
 date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 10, 2016 (cut-off date for reckoning the dispatch of

तक (सदस्यों के मतिधकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अविध के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 14 जुलाई 2016 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे सुदूर ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा के स्थान पर टैब वोटिंग के माध्यम से अपने मतिधकार का प्रयोग कर सकते हैं. यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जिरए मतदान करने का विकल्प चुनते हैं, वे अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथािप, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/ Password'' का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें किः

- सदस्यों के मताधिकार 14 जुलाई 2016 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकता है, किन्तु उसे महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णतः गोपनीय रखें
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार,
 21 जुलाई 2016 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तुरंत बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 14 जुलाई 2016 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक का सदस्य नहीं है, इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552779/ 3336/ 3062/ 4058) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

AGM Notice) till July 14, 2016 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 14, 2016, can exercise their voting right through remote e-voting or Tab voting at the venue of AGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 14, 2016.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Thursday July 21, 2016 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 14, 2016, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No. 1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail:einward.ris@karvy.com]or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 /3336 /3062/4058) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

- 10. ऐसे सदस्यों को वार्षिक महासभा स्थल पर अपना वोट डालने के लिए टैब वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जिरए अपने वोट नहीं डाले हैं.
- 11. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 25 जुलाई 2016 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbi.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि. तथा बीएसई लि. को भी सुचित किए जाएंगे.
- 12. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन जमा करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक/ कार्वी को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.
- 13. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-08 तक घोषित अप्रदत्त या अदावित लाभांश को, समय-समय पर नियत तारीखों को, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया है. आईईपीएफ (कंपनियों के पास पड़ी अप्रदत्त तथा अदावित राशियों के बारे में सूचना अपलोड करना) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक ने यथा 12 अगस्त 2015 (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) को बैंक के पास पड़ी अप्रदत्त तथा अदावित राशियों के ब्योरे बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.idbi. com और कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.iepf. gov.in पर अपलोड कर दिए हैं.

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

यह स्पष्ट किया जाता है कि सिर्फ वे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा के स्थान पर टैब के जिरए वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे जिनके नाम 14 जुलाई 2016 की निर्दिष्ट तारीख को बहियों में सदस्य या शेयरों के हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्ज हैं.

- Tab voting will be provided to the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, to cast their vote at the venue of AGM.
- 11. The result of e-voting alongwith Scrutinizer's Report will be announced on or before July 25, 2016 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. Further, the result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.
- 12. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to the Bank/ Karvy.
- 13. The Company has transferred the unpaid or unclaimed dividend declared upto Financial Year 2007-08, from time to time on due dates, to the Investor Education and Protection Fund (the IEPF) established by the Central Government. Pursuant to the provisions of IEPF (uploading of Information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012, the Bank has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Bank as on August 12, 2015 (Date of last Annual General Meeting) on the website of the Bank, i.e., www.idbi.com and also on the website of Ministry of Corporate Affairs, i.e., www.iepf. gov.in

IMPORTANT NOTE:-

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of July 14, 2016, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Tabs at the venue of the AGM.

नोटिस का अनुबंध

सुचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 2

संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए. जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1ए) के निबंधनों के अनुसार रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. इस नियुक्ति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत शेयरधारकों की महासभा में साधारण संकल्प पारित करके अभिपृष्टि की जानी अपेक्षित है. मेसर्स मुकुन्द एम चितले, सनदी लेखाकार, मुंबई (आईसीएआई पंजीकरण सं. 106655डब्ल्यू) और मेसर्स चौकशी एण्ड चौकशी, सनदी लेखाकार, मुंबई (आईसीएआई पंजीकरण सं.101872डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आईडीबीआई बैंक का संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक 12वीं वार्षिक महासभा की कार्यवाही पूरी होने तक बने रहेंगे. बैंक ने वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में उपरोक्त सनदी लेखाकारों की पनर्नियक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है. अतः यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सामान्य संकल्प पारित करके वार्षिक महासभा द्वारा बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त/ पुनर्नियुक्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के निबंधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत किया जाएगा. तदनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 2 में निहित विशेष संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित है.

2. सूचना की मद सं. 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन 00603925) को 28 अगस्त 2015 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे ऐसे निदेशक के रूप में 12वीं वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात् 22 जुलाई 2016 तक कार्यभार संभालेंगे. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री ज्ञान प्रकाश जोशी से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी पात्रता सूचित की है. यह प्रस्तावित है कि श्री ज्ञान प्रकाश जोशी को लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाए जो 28 अगस्त 2015 से प्रभावी होगा तथा वार्षिक महासभा की सूचना सं. 3 में निहित संकल्प को पास किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री ज्ञान प्रकाश जोशी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में यथा उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of Items of the Notice

1. Item No. 2 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, who may be appointed by the Bank with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. The appointment is required to be ratified in the general meeting of the shareholders by passing Ordinary Resolution under Section 139 of the Companies Act, 2013. M/s. Mukund M. Chitale, Chartered Accountants, Mumbai (ICAI Regn. No.106655W) and M/s Chokshi & Chokshi, Chartered Accountants, Mumbai (ICAI Regn. No. 101872W) were appointed as Joint Statutory Auditors of IDBI Bank for the year 2015-16. These Auditors will hold office till the conclusion of the 12th AGM. Approval of RBI has been sought for re-appointment of the aforesaid firms of Chartered Accountants to be appointed as Joint Statutory Auditors of the Bank for the year 2016-17. Therefore, it is proposed that by passing ordinary resolution under section 139 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Board may be authorized by the AGM, to appoint Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2016-17 and appoint/re-appoint Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2016-17 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received from RBI in this regard. The terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The Ordinary Resolution as contained at Item No.2 of the AGM Notice is accordingly proposed to be passed by the shareholders.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.3 of the Notice

Shri Gyan Prakash Joshi (DIN 00603925) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. August 28, 2015 and will hold office as such Director upto the date of the 12th Annual General Meeting, i.e. July 22, 2016. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri Gyan Prakash Joshi signifying his candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Shri Gyan Prakash Joshi as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. August 28, 2015 and pass the resolution contained under Item No.3 of the AGM Notice. It may be noted that Shri Gyan Prakash Joshi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013.

मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं. यह भी उल्लिखित है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री ज्ञान प्रकाश जोशी को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री ज्ञान प्रकाश जोशी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री ज्ञान प्रकाश जोशी का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने तथा वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु भुगतान के लिए पात्र होंगे.

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी का संक्षिप्त परिचय निम्नवत् है :

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन 00603925) का जन्म 1 अप्रैल 1955 को हुआ था तथा वे बी. एससी (ऑनर्स), एम. एससी तथा वित्तीय प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं. वे 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े तथा 2008 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली. उन्हें केंद्र तथा मणिपुर और गुजरात राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर तीस वर्षों का अनुभव प्राप्त है जिसमें गुजरात सरकार के मुख्य सचिव, गुजरात के गवर्नर के मुख्य सचिव, गुजरात राज्य वित्तीय निगम तथा गुजरात वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के प्रबंध निदेशक, गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम के निदेशक (वित्त एवं परिचालन), मणिपुर के मुख्यमंत्री के सचिव, उपायुक्त, उखरुल, मणिपुर तथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अवर सचिव के रूप में शामिल हैं. वे नेशनल अल्युमीनियम कंपनी लि. तथा हिंदुस्तान कॉपर लि. के बोर्ड में रह चुके हैं. वर्तमान में वे सराफ फूडस लि. के बोर्ड में हैं. श्री जोशी के पास आईडीबीआई बैंक लि. का कोई शेयर नहीं है.

3. सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए)(ii) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार ने 14 अगस्त 2015 की अधिसूचना एफ़ सं.4/2/2015-बीओ.1 के जरिए श्री किशोर पिराजी खरात (डीआईएन 07266945) को 14 अगस्त 2015 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख तक अर्थात् 30.09.2018 या अगले आदेश तक एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया है. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार इस नियुक्ति को अनुमोदित किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नियुक्ति को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लिखित है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री किशोर पिराजी खरात को छोडकर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्यक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री किशोर पिराजी खरात का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है.

Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 for such an appointment. It may also be mentioned that no Director (other than Shri Gyan Prakash Joshi himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Gyan Prakash Joshi as Independent Director. Shri Gyan Prakash Joshi is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank. As Independent Director, Shri Gyan Prakash Joshi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements.

Shri Gyan Prakash Joshi's resume is as under:

Shri Gyan Prakash Joshi (DIN 00603925) was born on April 01, 1955 and is B.Sc.(Hons), M.Sc., PG Diploma in Financial Management. He joined the Indian Administrative Service in 1978 and took voluntary retirement in 2008. He has thirty years of experience in various positions in the Central and State Governments of Manipur and Gujarat including as Principal Secretary to Govt. of Gujarat, Principal Secretary to the Governor of Gujarat, MD of Gujarat State Financial Corporation & Gujarat Water Infrastructure Ltd., Director (Finance & Operations) in Gujarat State Petroleum Corporation, Secretary to CM of Manipur, Deputy Commissioner, Ukhrul, Manipur and also as Under Secretary in Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India. He has been on the Boards of National Aluminium Co. Ltd. and Hindustan Copper Ltd. He is presently on the Board of Saraf Foods Ltd. Shri Joshi does not hold any shares of IDBI Bank Ltd.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice

Govt. of India has, vide Notification F.No. 4/2/2015-BO.1 dated August 14, 2015 appointed Shri Kishor Piraji Kharat (DIN 07266945) as MD & CEO w.e.f. August 14, 2015 for a period of three years or till the date of superannuation i.e. 30.09.2018 or until further orders, in terms of Article 116(1)(a)(ii) of the Articles of Association of the Bank. Board has approved the appointment in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Members are requested to take note of the said appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Kishor Piraji Kharat himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Kishor Piraji Kharat is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

श्री किशोर पिराजी खरात का संक्षिप्त परिचय निम्नवत् है :

श्री किशोर पिराजी खरात वाणिज्य में स्नातक, सीएआईआईबी. एलएलबी (I) और प्रबंधन में कार्यपालक डिप्लोमा हैं. उन्होंने बैंक ऑफ बडौदा से बैंकिंग सेवा आरंभ की जहां उन्होंने ऋण, अंतर्राष्टीय व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और सामान्य प्रशासन सहित बैंकिंग के विभिन्न परिदृश्यों से संबंधित पोर्टफोलियो में विविध अनुभव प्राप्त कर तीन दशकों से अधिक समय तक बेहद सफल कार्यकाल पूरा किया. उन्होंने त्रिनिदाद एवं टोबैगो, वेस्टइंडीज में बैंक ऑफ बडौदा की एक विदेशी सहायक संस्था की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई और तीन वर्षों से अधिक समय तक प्रबंध निदेशक के रूप में उसके प्रमुख भी रहे. वे भारत त्रिनिदाद एवं टोबैगो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के संस्थापक सदस्य भी रहे जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढावा दिया. उन्हें बैंक द्वारा अल्पावधि के लिए शारजाह (युएई) में भी तैनात किया गया था. वित्तीय समावेशन वर्टिकल में महा प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के साथ मिलकर उन्होंने वित्तीय समावेशन पहल-कार्यों में प्रमुख योगदान दिया. आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ नियुक्त होने से पहले वे मार्च 2015 से युनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर थे. वे उत्स्क पाठक और प्रकृति प्रेमी हैं.

4. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 2 मई 2016 की अपनी अधिसचना एफ़.सं. 6/3/2012 - बीओ.I के जरिए श्री पंकज जैन (डीआईएन 00675922), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रलाय, भारत सरकार को बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) (सी) के अनुसार 2 मई 2016 से अगले आदेश तक सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव के स्थान पर आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया है. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 161(3) के अनुसार उपर्यक्त नामांकन नोट किया है. सदस्यों से अनरोध है कि वे उक्त नामांकन को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लिखित है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री पंकज जैन को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्यक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री पंकज जैन का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है.

श्री पंकज जैन का संक्षिप्त परिचय निम्नवत् है :

श्री पंकज जैन 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. वे वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं. वे दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थी रहे हैं जहां से उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा एफ़एमएस से एमबीए किया है. उन्हें लेखांकन अध्ययन में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से व्यावसायिक अर्हता प्राप्त है. उन्होंने असम और मेघालय सरकार के लिए भी कार्य किया है, जिनमें Shri Kishor Piraji Kharat's resume is as under:

Shri Kishor Piraji Kharat is B.Com(Hons.), CAIIB, LLB(I) and has Executive Diploma in Management. He started his Banking career with Bank of Baroda where he had an immensely successful career of more than three decades getting varied exposure in the portfolios across various aspects of banking including Credit, International Business, Information Technology and General Administration. He played an instrumental role in establishing a foreign subsidiary of Bank of Baroda in Trinidad & Tobago, West Indies and headed the same as Managing Director for more than three years. He was also a founding Member of India Trinidad & Tobago Chambers of Commerce & Industry which fostered trade between the two countries. He was posted by the Bank for a short period at Sharjah (UAE). As General Manager, Financial Inclusion Vertical, he was a key driver of major Financial Inclusion initiatives and worked closely with RBI as well as Government of India. Before becoming MD & CEO of IDBI Bank, he was holding the position of Executive Director in Union Bank of India since March 2015. He is an avid reader and an admirer of nature.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

Govt. of India has, vide Notification F.No.6/3/2012-BO.I dated May 02, 2016 nominated Shri Pankaj Jain (DIN 00675922), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India as Govt. Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Ms. Snehlata Shrivastava w.e.f. May 02, 2016 and until further orders, in terms of Article 116(1)(c) of the Articles of Association of the Bank. Board has taken note of the above nomination in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Members are requested to take note of the said nomination. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Pankaj Jain himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Pankaj Jain is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Shri Pankaj Jain's resume is as under:

Shri Pankaj Jain is an IAS officer of 1990 batch, currently the Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He is an alumnus of Shri Ram College of Commerce from where he has a Bachelor's degree in Commerce followed by an MBA from FMS Delhi. He also has a professional qualification in the discipline of accounting as an Associate of the Institute of Cost Accountants of India. He has worked for the Governments of Assam and

शिलांग और तुरा का जिला मजिस्ट्रेट होना तथा बिजली, योजना, सूचना प्रौद्योगिकी, आजीविका संवर्धन एवं उद्योग संबंधी सिचवालय तथा राज्य निगमों के कार्य शामिल हैं. साथ ही, वे भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में निदेशक भी रहे हैं. उनके कार्य अनुभव में इंटरनेशनल डेवलपमेंट विभाग (डीएफ़आईडी) के ब्रिटिश इंटरनेशनल एड एजेंसी में अभिशासन सलाहकार एवं सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल शामिल है. उनकी अभिरुचि बौद्धिक संपदा अधिकार में है जहां उन्होंने भारतीय खिलौना उद्योग के लिए आईपीआर गाइड विकसित करने के लिए यूनिडो के साथ मिलकर कार्य किया है. वे भारत और बांग्लादेश में लघु एवं मध्यम उद्यमों में आईटी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडल सचिवालय तथा एसियाई उत्पादकता संगठन के परामर्शदाता भी रहे हैं.

5. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री एस. रवि (डीआईएन 00009790) को 02 जुलाई 2012 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियक्त किया गया था. वे 1 जलाई 2016 को 4 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. बैंक के संस्था के अंतर्नियम 116(ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के प्रावधानों के अनुसार श्री एस. रवि लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेत् पात्र हैं. श्री रवि ने अपनी पुनर्नियुक्ति हेत् प्रस्ताव दिया है. यह प्रस्तावित है कि श्री एस. रवि को 2 जुलाई 2016 से लगातार 4 वर्ष के लिए दूसरे एवं अंतिम कार्यकाल हेत् पुनर्नियुक्त किया जाए तथा वार्षिक महासभा की सुचना सं. 6 में निहित संकल्प को पास किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री एस. रिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 149(6) में यथा उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पुरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मानदंडों को परा करते हैं. यह भी उल्लिखित है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री एस. रवि को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री एस. रवि की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री एस. रवि का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है.

श्री एस. रवि का परिचय निम्नवत् है:

श्री एस रिव (डीआईएन 00009790) बी.एससी, एम. कॉम, एफसीए और डीआईएसए हैं. श्री एस रिव ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के बोर्ड में अपनी निदेशकता के कारण बैंकिंग क्षेत्र का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है. सरकारी क्षेत्र के बैंकों यथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, यूको बैंक तथा पंजाब व सिंध बैंक में निदेशक के अपने कार्यकाल के दौरान वे लेखापरीक्षा समिति, रणनीतिक पुनरुत्थान समिति तथा जोखिम प्रबंध समिति जैसी विभिन्न समितियों में भी रहे. उन्हें वित्तीय क्षेत्र अर्थात् म्यूचुअल फंड,

Meghalaya. This encompasses being District Magistrate at Shillong and Tura along with assignments in the Secretariat and State Corporations dealing with Power, Planning, Information Technology, Livelihood Promotion and Industries as well as being Director with the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. His work experience also includes a three year stint with the British International Aid Agency - the Department for International Development (DFID) as Governance Advisor and Senior Program Manager. His areas of interest include Intellectual Property Rights where he has collaborated with UNIDO to develop an IPR guide for the Indian Toy Industry. He has also been a consultant to the Commonwealth Secretariat and the Asian Productivity Organisation on adoption of IT by small and medium enterprises in India and Bangladesh.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

Shri S. Ravi (DIN 00009790) was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f July 02, 2012 for an initial period of 4 years. He is completing his term of 4 years on July 01, 2016. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank, Shri Ravi is eligible for re-appointment for another term of 4 consecutive years. Shri S. Ravi has offered himself for re-appointment. It is proposed to re-appoint Shri S. Ravi as Independent Director for another and last term of 4 consecutive years w.e.f. July 02, 2016 and pass the resolution contained under Item No. 6 of the AGM Notice. It may be noted that Shri S. Ravi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 for such an appointment. It may also be mentioned that no Director (other than Shri S. Ravi himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for reappointment of Shri S. Ravi as Independent Director. Shri S. Ravi is not related to any other Director on the Board of the Bankor any Key Managerial Personnel of the Bank.

Shri S Ravi's resume is as under:

Shri S. Ravi (DIN 00009790) is B.Sc, M.Com, FCA and DISA. Shri S. Ravi has garnered wide exposure in the Banking Sector due to his directorship on the board of various public sector banks. During his tenure as director of PSU Banks, viz., Union Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, UCO Bank and Punjab & Sind Bank, he was also on various committees such as Audit Committee, Strategic Revival Committee and Risk Management Committee. He also has experience

आवास वित्त, उद्यम पूंजी निधि तथा पूंजी बाजार कार्यकलापों का भी अनुभव है. इस समय वे अन्य के साथ-साथ आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि., यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि., एसटीसीआई फायनेंस लि., बीएसई लि., आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. जैसी कई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं. श्री रिव के पास आईडीबीआई बैंक लि. के 200 शेयर हैं.

6. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री निनाद कर्पे (डीआईएन 00030971) को 02 जुलाई 2012 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 1 जुलाई 2016 को 4 वर्ष का अपना कार्यकाल पुरा कर रहे हैं. बैंक के संस्था के अंतर्नियम 116(ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री कर्पे लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हैं. श्री कर्पे ने अपनी पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया है. यह प्रस्तावित है कि श्री कर्पे को 2 जुलाई 2016 से लगातार 4 वर्ष के लिए दूसरे एवं अंतिम कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए तथा वार्षिक महासभा की सूचना सं. 7 में निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री कर्पे ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में यथा उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पुरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अभिमत में भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मानदंडों को परा करते हैं. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री निनाद कर्पे को छोडकर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री निनाद कर्पे की स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री निनाद कर्पे का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है.

श्री निनाद कर्पे का संक्षिप्त परिचय निम्नवत् है :

श्री निनाद कर्पे (डीआईएन 00030971), एप्टेक लि. के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं. वे बी. कॉम, एलएलबी(जेन.) तथा एफसीए हैं. उन्होंने बडे ही आक्रामक रूप से एप्टेक लि. को विश्व स्तर पर लर्निंग सॉल्युशन्स के एक वास्तविक वैश्विक प्रदाता की हैसियत दिलाई है. एप्टेक चीन, वियतनाम, नाइजीरिया, रूस तथा अन्य उभरते बाजारों में अपने क्षेत्र में अग्रणी है. एप्टेक लि. से पूर्व वे सीए इंडिया के प्रबंध निदेशक के पद पर थे तथा उनके पास कंपनी की टेक्नोलॉजी की पहुंच को विस्तार देने और भारत की अग्रणी आईटी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने का उत्तरदायित्व था. उन्होंने अपना सीए पुरा करने के बाद एक स्वतंत्र परामर्शदात्री फर्म भी खोली और विदेशी कंपनियों तथा अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने में सहायता करने का विशेषीकृत कार्य शुरू किया. उन्होंने इस अवधि के दौरान कराधान पर पुस्तकें लिखीं तथा भारत में विदेशी निवेश और रणनीति विषय पर विभिन्न सेमिनारों तथा कार्यक्रमों में व्याख्यान भी दिए. वे एच.आर. कॉलेज में अंश-कालिक व्याख्याता तथा जमनालाल बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई में अतिथि व्याख्याता in the financial sector, viz., Mutual Fund, Home Finance, Venture Capital Fund and Capital Market Activities. He is presently on the Boards of IDBI Capital Market Services Ltd., UTI Trustee Company Pvt. Ltd., STCI Finance Ltd., BSE Ltd., Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. among others. Shri Ravi holds 200 shares of IDBI Bank Ltd.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

Shri Ninad Karpe (DIN 00030971) was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f July 02, 2012 for an initial period of 4 years. He is completing his term of 4 years on July 01, 2016. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank, Shri Karpe is eligible for re-appointment for another term of 4 consecutive years. Shri Ninad Karpe has offered himself for re-appointment. It is proposed to re-appoint Shri Karpe as Independent Director for another and last term of 4 consecutive years w.e.f. July 02, 2016 and pass the resolution contained under Item No. 7 of the AGM Notice. It may be noted that Shri Ninad Karpe has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 for such an appointment. It may also be mentioned that no Director (other than Shri Ninad Karpe himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for re-appointment of Shri Ninad Karpe as Independent Director. Shri Ninad Karpe is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Shri Ninad Karpe's resume is as under:

Shri Ninad Karpe (DIN 00030971) is Managing Director & CEO of Aptech Ltd. He is B.Com, LLB (Gen.) and FCA. He has aggressively pursued to position Aptech Ltd. on the world stage as a truly global provider of learning solutions. Aptech is a leader in its space in China, Vietnam, Nigeria, Russia and other emerging markets. Prior to Aptech Ltd. he held the position of MD in CA India and was responsible for extending the company's technology reach and building strategic partnerships with leading Indian IT players. He also started an Independent Consulting firm after completing his CA and took on the specialized task of helping foreign companies and non resident Indians to invest in India. He authored books on Taxation during this period and also spoke at various seminars and events on the topic of Foreign Investment and Strategy in India. He was also part-time lecturer at H.R. College and Guest lecturer at Jamnalal Bajaj College of Management Studies, Mumbai. He is on the Boards of

भी थे. वे अन्य के साथ-साथ बीएनपी परिबास असेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लि., सविता ऑयल टेक्नोलॉजिज लि., ईडीसी लि. के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं. श्री निनाद कर्पे के पास आईडीबीआई बैंक लि का कोई शेयर नहीं है

7. सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

- (i) बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी ₹ 20588150810/- है जिसमें प्रवर्तकों की शेयरधारिता 73.98% तथा जनता की शेयरधारिता 26.02% है. समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बैंक की चालू विस्तार योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग आदि के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 12 अगस्त 2015 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए अर्थात् 11 अगस्त 2016 तक वैध है.
- (ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा.
- (iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1) (सी) और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 41(4) के तहत यह प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा दोबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को उसे आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार से इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.
- (iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम तथा निजी नियोजन आधार पर निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) आदि के जिरए कुल ₹ 8000 करोड़ (प्रीमियम राशि सिहत) के इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है. अधिमान निर्गम के मामले में (i) शेयर प्रवर्तक, भारत सरकार तथा/या सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अधीन अनुमत अन्य पात्र संस्थागत क्रेताओं, यदि कोई हो, को जारी किए जाएंगे. (ii) अधिमान निर्गम के मूल्य निर्धारण के लिए संगत तारीख इस वार्षिक महासभा की तारीख से 30 दिन पूर्व अर्थात् 22 जून 2016 की संगत तारीख के आधार पर सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 76 के अनुसार की जाएगी, (iv) अधिमान के विनियम 76 के अनुसार की जाएगी, (iv) अधिमान

BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd., Savita Oil Technologies Ltd., EDC Ltd. as Independent Director, among others. Shri Ninad Karpe does not hold any shares of IDBI Bank Ltd.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice

- (i) The present Paid up capital of the Bank is ₹ 20588150810/- with Promoters' shareholding of 73.98% and Public shareholding of 26.02%. The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 12, 2015 for Issue of Capital under QIP route, etc. is valid only for one year upto August 11, 2016 in terms of SEBI(ICDR) Regulations, 2009 for QIPs.
- (ii) The Bank will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital.
- (iii) The Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013. Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 and Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provide that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
- The Resolution seeks to enable the Bank to offer. issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 8000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, preferential issue, issue on private placement basis, QIP, etc. In case of Preferential Issue, (i) the shares will be issued to the Promoter, Govt. of India and/ or other QIBs, if any as permitted under chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations 2009; (ii) the Relevant Date for pricing of the preferential issue shall be 30 days prior to the date of this AGM i.e.June 22, 2016; (iii) pricing of the issue shall be calculated as per Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations based on the Relevant Date of June 22, 2016; (iv) the shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue shall be the existing

- निर्गम से पूर्व तथा बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप ₹20588150810/- की वर्तमान प्रदत्त पूंजी और इस संकल्प के निबंधनों के अनुसार बैंक द्वारा आबंटित शेयरों की वास्तविक संख्या होगी.
- (v) अधिमान निर्गम का कार्य इस संकल्प से 15 दिनों के भीतर या अधिमान निर्गम के अभिदान हेतु भारत सरकार के अनुमोदन या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक अनुमोदन से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.
- (vi) लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें इस संकल्प के प्राधिकार के अधीन अधिमान निर्गम का अनुमोदन किया जाना है. इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.
- (vii) यह संकल्प सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में पिरभाषित रूप में पात्र संस्थागत क्रेताओं के पास पात्र संस्थागत नियोजन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना चाहता है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.
- (viii)आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जा सकता है, जो कि ''संगत तारीख'' से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम पांच प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्विववेकानुसार इिक्वटी शेयर जारी कर सकता है.
- (ix) ''संगत तारीख'' से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.
- (x) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकत्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.
- (xi) ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा.
- (xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

- paid-up capital of ₹ 20588150810/- plus the actual number of shares allotted by the Bank in terms of this Resolution;
- (v) The preferential issue shall be completed within 15 days of this Resolution or within 15 days of any statutory/ regulatory approval or the approval of Gol for subscription to this preferential issue; and
- (vi) Auditors certificate shall be placed before the Board Meeting which approves the Preferential Issue under the authority of this Resolution. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- (vii) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI(ICDR) Regulations, 2009. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- (viii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.
- (ix) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.
- (x) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.
- (xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- (xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

- (xiii) अतः उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.
- (xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस प्रयोजन के लिए बैंक को शेयरधारकों से एक विशेष संकल्प के जिए सहमित लेनी आवश्यक है. अतः उपर्युक्त प्रस्ताव पर शेयरधारकों की सहमित हेतु अनुरोध किया जाता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 8 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/ बांडधारिता, यि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

8. सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

- (i) बोर्ड ने दिनांक 22 मार्च 2016 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या अधिक शृंखलाओं में निजी नियोजन/सार्वजिनक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालक टियर II/ अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹20,000 करोड़ की रुपया बांड निर्गम सीमा अनुमोदित की है.
- (ii) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण-पत्र और आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी. बशर्ते कि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में वर्ष भर के सभी प्रस्तावित निर्गमों के संबंध में इस प्रकार का अनुमोदन वर्ष के आरंभ में ही लिया जाए.
- (iii) निर्गमों की कीमत का निर्धारण प्रत्येक निर्गम के समय ही किया जा सकता है. देशी बाजार में निर्गम की कीमत का निर्धारण बाजार की वर्तमान स्थितियों और बैंक के लिए समग्र उधार लागत पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा.

तदनुसार, निदेशक मंडल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विशेष संकल्प पारित करके शेयरधारकों से उनके अनुमोदन की मांग करता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 9 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/ बांडधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है

- (xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- (xiv) The equity shares allotted shall rank *pari-passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. Hence, Shareholders' consent is requested for the above proposal. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No. 8 in the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is/are concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding/bondholding, if any, in IDBI Bank.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 9 of the Notice

- (i) The Board, at its meeting held on March 22, 2016, has approved a rupee bond issuance limit of ₹ 20,000 crore for FY 2016-17 comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III complaint Tier II /Additional Tier I Bonds by way of private placement/public issue during FY 2016-17 or during one year from the date of passing of this resolution, whichever is later, in one or more tranches.
- (ii) In terms of Section 42 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, private placement of securities will require previous approval of the shareholders by Special Resolution. Provided that in case of non-convertible debentures, such approval may be taken in the beginning of the year in respect of all proposed issues during the year.
- (iii) The pricing of the issuances can be decided only at the time of each issue. The pricing of the issuance in the domestic market would be decided based on the prevailing market conditions and its impact on overall cost of borrowing for the Bank.

Accordingly, Shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing of the Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No. 9 in the notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is/ are concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the above resolution except to the extent of their shareholding/bondholding, if any, in IDBI Bank.

9. सूचना की मद सं. 10 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

- (i) इस संकल्प का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 एवं 14 के साथ पिठत संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 6 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा संस्था बिहर्नियम के खंड V के पिरणामी संशोधन तथा विशेष संकल्प में यथा सूचित बैंक के संस्था के अंतर्नियम के खंड 3 के अनुसार बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 4500 करोड़ करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना है तािक भिविष्य में प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश हो.
- (ii) दिनांक 12 अगस्त 2015 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में एक अध्यक्ष तथा एक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के 2 पदों के रूप में अलग करने के लिए संस्था अंतर्नियम में संशोधन किया गया था. इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में परिचालनगत कठिनाई को दूर करने के लिए संस्था अंतर्नियम में अंतर्नियम को संशोधित कर पूर्णकालिक सीएमडी के लिए प्रयुक्त ''अध्यक्ष'' शब्द को ''प्रबंध निदेशक एवं सीईओ'' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए.
- (iii) अंतर्नियम 116(1) के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार बोर्ड में 13 निदेशकों की वर्तमान संरचना में से 8 निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुपालन में नामित निदेशकों की श्रेणी में हैं तथा शेष 5 निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुपालन में नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इन श्रेणियों के निदेशक क्रमावर्ती निदेशक नहीं हो सकते हैं. क्रमावर्ती निदेशकों के लिए प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए तथा इस संबंध में परिचालनगत कठिनाई को दूर करने के लिए यह प्रस्तावित है कि संस्था अंतर्नियम में एक नया अंतर्नियम 116 ए (iv) जोडा जाए.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उक्त संकल्प को पारित करने में आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता / बांडधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

बोर्ड के आदेश से

(किशोर खरात)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (डीआईएन 07266945)

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005

दुनांक : 02 जून 2016

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 10 of the Notice

- (i) The Resolution aims at according shareholders' approval to the increase in Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 3000 crore to ₹ 4500 crore in terms of Article 6 of the Articles of Association read with Sections 13 & 14 of the Companies Act, 2013 and Rules made therein and to the consequential amendment in Clause V of the Memorandum of Association and Clause 3 of the Articles of Association of the Bank as indicated in the Special Resolution in order to give sufficient room for increase in the paid-up capital in future.
- (ii) In the last AGM held on August 12, 2015, the Articles of Association was amended to separate the post of Chairman & Managing Director into 2 posts of a Chairman and a Managing Director & CEO to comply with Govt. of India directives in this regard. In view of this amendment, it is proposed to substitute the word "Chairman" wherever occurring for Whole-time CMD by the words "Managing Director & CEO" in the Articles of Association by amending the Articles to remove the operational difficulty in this regard.
- (iii) Out of the present composition of 13 Directors on the Board as provided under Article 116(1), 8 Directors are in the nominated Directors' category in compliance of Section 161(3) of the Companies Act, 2013 and the remaining 5 Directors are in the Independent Directors' category to be appointed in compliance of Section 149 of the Companies Act, 2013. Directors in these categories can not be rotational Directors as per the provisions of the Companies Act, 2013. To clarify the provisions for rotational Directors and to remove operational difficulty in this regard, it is proposed to insert new Article 116 A (iv) in the Articles of Association.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is/are concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the above resolution except to the extent of their shareholding / bondholding, if any, in IDBI Bank.

By Order of the Board

(Kishor Kharat) MD & CEO (DIN 07266945)

Registered Office: IDBI Bank Limited IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005 Dated: June 02, 2016 This page has been intentionally left blank



आईडीबीआई बैंक लि.

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

CIN: L65190MH2004GOI148838

कंपनी	का नाम	ः आईडीबी	आई बैंक लि.	
पंजीकृ	न्त कार्यालय	ः आईडीबी	ोआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कप	फ परेड, मुंबई-400005
सदस्य	प(यों) का/के नाम	:		
पंजीकृ	न्त पता	:		
ईमेल	आईडी	:		
फोलि	यो सं./ ग्राहक आईर्ड	: 1		
डीपी ः	आईडी	:		
मैं/हम,	उपर्युक्त कंपनी के _		शेयरों के धारक सदस्य होने वे	- के नाते एतद्द्रारा
1.	नाम :			
	पताः			
	ईमेल आईडी :			
	हस्ताक्षरः		को अथवा उनके न	न होने पर.
2.				
	पता :			
	र्रमेल आईडी :			
			को अथवा उनके न	होने गर
3.			पंग अववा उपपंग	
٥.	पता :			
	पता : ईमेल आईडी :			
	हस्ताक्षर :			
का पश और उर	शवतराव चव्हाण स् सके किसी स्थगन पर	. ८२ आ ।। ५८ ।।२ 'आयोजित होने	खम, जनरल जगन्नाथराव मासल म मे वाली बैंक की 12वीं वार्षिक महास	<mark>मार्ग, मुंबई - 400021 में 22 जुलाई 2016 को अपराहन 3.30 बजे आयोजित की जानेवाल</mark> प्रभा में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने औ
मतदान	(मतदान होने पर)		गॅक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं	
	ग संख्या :	,		
1.	यथा दिनाक 31 मार	र्ग 2016 को आ नेपर अपर्दरीकी	।इंडोबीआई बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय भार्ट जैंस हेन संग्रासन सांविधार जेपनार्ग	य विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (सामान्य संकल्प रीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की
2.	विष 2016-17 के । नियक्ति/ पनर्नियवि	लए आश्डाबाउ न्त के लिए निदे	आर बक हतु संयुक्त सावायक लखापर एशक मंडल को प्राधिकृत करने वाला संव	रावका आर आरडाबाआर बक का डाआरूप्फ़सा, पुंबर साखा हतु साखा साावायक लखापरावक का कर्ल्य ((साधारण संकल्प)
3.				
4.			में श्री किशोर पिराजी खरात की नियुक्ति	
5.				ा सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के नामांकन को नोट करना (साधारण संकल्प)
6.			श्री एस. रवि की पुनर्नियुक्ति (विशेष सं	
7.			श्री निनाद कर्पे की पुनर्नियुक्ति (विशेष र ए प्राप्तामों मे करन ₹ १००० कामेन (पीर्णि	सकल्प) मियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1
8.	क्यूआइपा साहत ।- (सी)के अधीन सम			मयम राशि सिहित्र) तक के शयरा का जारा करने के लिए कंपना आधानयम, 2013 का घारा 62(1
9.	निजी नियोजन/सार्व के अधीन समर्थकार	जिनिक निर्गम वे ो संकल्प (विश्	ह माध्यम से बांड को शामिल करते हुए, गेष संकल्प)	, एक या अधिक श्रृंखलाओं में, ₹ 20000 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4
10.	बैंक की प्राधिकृत शे	।यर पूंजी को ₹	3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 4500 करो	रोड़ करना तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम में अन्य संशोधन (विशेष संकल्प)
दिनांक .	मा	ह	2016 को हस्ताक्षरित.	
				ि रेवेन्यू स्टाम्प
	। (या या छरताबार — : धारक(कों) के हस्ताः			लगाएँ
त्रापसा	भारपर्भागा क हस्ताः	શ 🔻 🔹		

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् बुधवार, 20 जुलाई 2016 को अपराहन 3.30 बजे तक या इससे पहले) बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.



IDBI Bank Limited Form No. MGT-11

Proxy Form
[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:L65190MH2004GOI148838

Nam	e of the company	: IDBI Bank Ltd.				
Regi	stered office	: IDBI Tower, WTC Co	omplex, Cuffe Parade, Mumbai-	400 005		
Nam	ne of the member (s)	:				
Regi	istered address	:				
E-m	ail Id	:				
Folio	No/ Client Id	:				
DP I	D	:				
I/We,	being the member (s) of	shares of the abo	ve named o	company, hereby appoint	
1.	Name:					
	Address:					
	E-mail Id:					
	Signature:	, o	or failing him			
2.	Name:					
	Address:					
	E-mail Id:					
	Signature:	, 0	or failing him			
3.	Name:					
	Address:					
	E-mail Id:					
	Signature:					
be h	eld on the 22 nd day bai – 400 021 and a plution No.	of July 2016 at 3.30 t any adjournment ther	p.m. at Yashwantrao Chava reof in respect of such resoluti	ons as are		
1.	Adoption of the Au thereon (Ordinary F		ents of IDBI Bank as on Mar	ch 31, 201	6 together with Reports of Directors and Auditors	
2.	Authorising the Boa	ard of Directors to appo	oint/ re-appoint Joint Statutory	Auditors o	f IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC	
3.			as Independent Director of the			
4.			raji Kharat as MD & CEO of th			
5.	To note the nomination of Shri Pankaj Jain, Joint Secretary, Department of Financial Services, Govt. of India as Government Nomine Director on the Board of the Bank (Ordinary Resolution).					
6.		•	ndent Director of the Bank (Sp	oecial Reso	olution)	
7.	Re-appointment of Shri Ninad Karpe as Independent Director of the Bank (Special Resolution)					
8.	Enabling Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 8000 crore (inclusive of premiuramount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution)					
9.	Enabling Resolution u/s 42 of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 20000 crore comprising Bonds by way of Private Placement/Public Issue(Special Resolution)					
10.	Increase in the Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 3000 crore to ₹ 4500 crore and other amendments in Articles of Association of the Bank (Special Resolution).					
Signe	ed this	_ day of	_ 2016	Affix Revenue		
Signa	ature of shareholder:			Stamp		

Signature of Proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. (i.e. on or before 3.30 p.m. on Wednesday, July 20, 2016).



CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

[पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्पलेक्स, कफ परेड, मुंबई 400 005,

फोन- (022) 66552779, फैक्स (022) 22182352, ई-मेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाईट: www.idbi.com]

अत्यावश्यक ध्यानार्थ आईडीबीआई बैंक के सदस्य आईडीबीआई बैंक में ई-मेल आईडी का पंजीकरण और

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से लाभांश का भुगतान

कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 के अनुसार हम आईडीबीआई बैंक के सभी सदस्यों से, जिन्होंने अभी तक बैंक में अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण नहीं करवाया है, एतद्द्वारा अनुरोध करते हैं कि वे अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण करवाएं जिससे उन्हें वार्षिक महासभा की सूचना तथा अन्य पत्रादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो सके.

- इसके अलावा, सेबी के दिनांक 21.03.2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/ एमआरडी/ डीपी/ 10/ 2013 के इस निर्देशानुसार कि अब से सूचीबद्ध कंपनियां निवेशकों को सभी प्रकार के भूगतान, जिनमें शेयरधारकों को लाभांश (यदि भविष्य में कोई घोषित किया जाता है) भी शामिल है, अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], एनईएफटी आदि के माध्यम से करें, बैंक के ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं, से हमारा अन्रोध है कि वे निर्धारित फॉर्म में अपने बैंक खाते का विवरण और/ अथवा ई-मेल आईडी (यदि पहले न दिया गया हो) हमें प्रस्तृत करें. कृपया विधिवत् रूप से भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उसमें दिये हुए पते पर भेजें. इससे बैठक की सूचना और अन्य पत्रादि शीघ्र भेजे जा सकेंगे और साथ ही लाभांश (यदि भविष्य में कोई घोषित किया जाता है) का भुगतान उक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिदेशित बैंक खाते में किया जा सकेगा.
- उि. डीमैट स्वरूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से बैंक अधिदेश और/अथवा ई-मेल आईडी ब्योरों, जैसा भी मामला हो, को अद्यतन करने/ संशोधित करने के लिए संपर्क करें.
- 4. यदि आप लाभांश (यदि भविष्य में कोई घोषित किया जाता है) का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नहीं चाहते हैं तो भी कृपया उपर्युक्त फॉर्म में अपने बैंक खाते की जानकारी (खाता संख्या और बैंक का नाम) भेजें तािक उन्हें सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार आईडीबीआई बैंक द्वारा लाभांश वारंटों पर अनिवार्य रूप से मुद्रित करवाया जा सके.
- 5. कृपया नोट करें िक वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर भी डाउनलोड करने की सुविधा के साथ उपलब्ध कराई जाएगी और बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान इसकी भौतिक प्रतियां देखी जा सकती हैं.

कृते आईडीबीआई बैंक लि. पवन अग्रवाल कंपनी सचिव

स्थानः मुंबई

दिनांक: 27 मई 2016



CIN: L65190MH2004GOI148838

IDBI BANK LIMITED

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352, e-mail :idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbi.com]

URGENT ATTENTION

MEMBERS OF IDBI BANK Registration of email ids with IDBI Bank and payment of Dividend through Electronic Payment Modes

In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, we, hereby, request all Members of IDBI Bank Ltd., who have till date not registered their e-mail id(s) with the Bank, to register their email id(s) in order to receive Notice of General Meetings and other communications in electronic form.

- 2. Further, in terms of SEBI Circular No. CIR/MRD/ DP/10/2013 dated 21.03.2013, directing that, henceforth. Listed Companies shall mandatorily make all payments to Investors, including Dividend (to be declared, if any, in future) to Shareholders, through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) / RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request all Shareholders of the Bank who hold physical shares to furnish the Bank account details and/or e-mail id(s) (if not already furnished) in the requisite form. Duly filled up form, alongwith the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate prompt delivery of Notice of the meeting and other communications as well as payment of dividend (to be declared, if any, in future) through aforesaid electronic mode in the mandated Bank Account.
- 3. Members who hold shares in Demat form are requested to approach concerned Depository Participant for updating /modifying the Bank Mandate and/or e-mail id(s) details as the case may be.
- 4. In case, you do not want Electronic payment of the Dividend (to be declared, if any, in future), kindly still furnish your Bank Account information (Account number and Bank's name) on the aforesaid form required to be mandatorily printed by IDBI Bank on the Dividend warrants as per SEBI's directives.
- 5. Please note that, the Notice of AGM and Annual Report will also be made available on Bank's website www.idbi. com with download facility and physical copies of the same can be inspected at the Registered Office of the Bank during office hours.

For IDBI Bank Ltd.

Pawan Agrawal Company Secretary

Place- Mumbai Date- May 27, 2016



बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/ह	म एतद्द्वारा ३	आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करते हैं कि वे					
	 मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करे अथव 	- वा					
 एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करे. 							
	(जो लागू न हो उसे काट दें)						
		फोलियो नं.: IDB					
बैंक	खाते का विवरण						
1.	बैंक का नाम	:					
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)						
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या						
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)						
	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:					
	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:					
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:					
8.	शेयरधारक का ई-मेल आईडी	:					
1.	9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड की परिश् से संबंधित चेक की फोटो कॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संत	सदस्य के हस्ताक्षर शुद्धता के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते लग्न करें.					
	ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	हैं, शेयरधारकों द्वारा शेयर अमूर्त रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :					

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.

हैदराबाद- 500 032,

गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा,

- 2. आवास प्रमाण आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति.
- 3. रद्द कोरा चेक पन्ना.

तेलंगाना.

4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.



BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We		do hereby authorize IDBI Bank Ltd.				
	To Print the following details on my/our dividend warrant or					
	To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT.					
	(Strike out whichever is not applicable)					
			Folio No. : IDB			
Partio	culars of Bank Account:					
1.	Bank Name	:				
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:				
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:				
4.	Account Type (Savings/Current)	:				
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:				
6.	Branch STD code & Telephone no.	:				
7.	IFSC Code of Bank Branch	:				
8.	E-mail ID of shareholder	:				
			Signature of the Member			
	Please attach the photocopy of a cheque or a bank account for verifying the accuracy of the		nk cancelled cheque issued by your Bank relating to your above digit MICR code number/IFSC Code.			
	<u> </u>					

In case of shareholders holding shares in Physical
Mode, please send these details to:

In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:

Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Hyderabad-500 032 Telangana.

Enclosures:

- 1. Self-attested copy of PAN Card
- 2. Self-attested copy of Residence -AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
- 3. Cancelled Blank Cheque leaf.
- 4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

नोट / NOTE
